RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

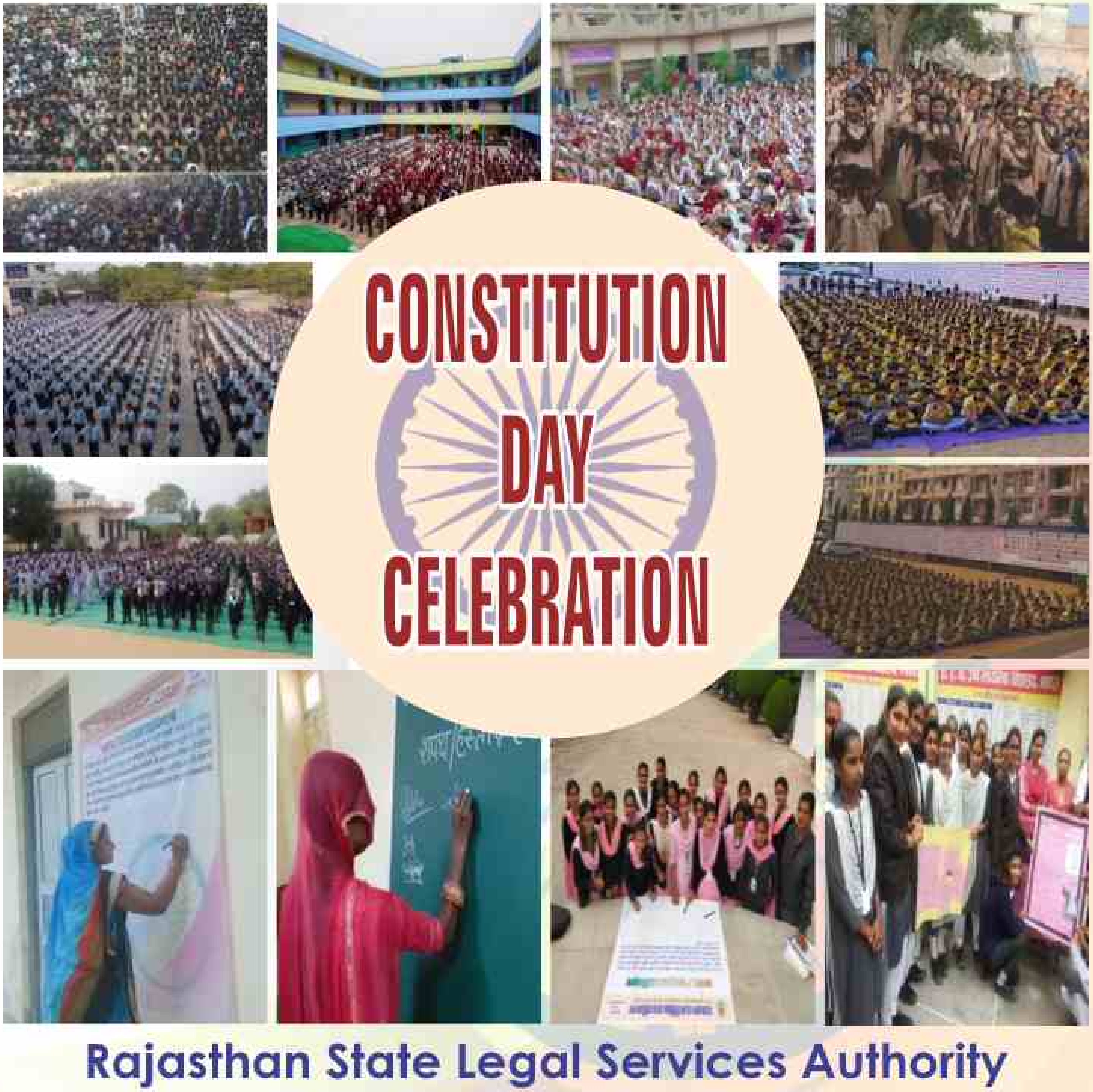

CONSTITUTION DAY CELEBRATION

Rajasthan State Legal Services Authority

Phone : 0141-2227481, Fax : 2227602

Toll Free Help Line : 1500/9928900900

Email: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.co, Website : www. rlsa.gov.in

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens:

JUSTICE
social, economic and political;

LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY
of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this 26th day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

CONSTITUTION DAY - 26 NOVEMBER, 2019

संविधान से समरसता तक

No country ever gets freedom as a gift rather it comes at the cost of sacrifice of millions of lives in the freedom struggle. India got independence on 15th August 1947, after fairly long freedom struggle, wherein millions of freedom fighters sacrificed their life. It is our duty to remember and spread awareness among masses about inspirational stories of freedom fighters and their quest for freedom struggle movement.

The Constituent Assembly accepted the draft of the Constitution of India and 26th November 1949 is one of the important day in the history of independent India, when the Constitution of India was adopted. That's why India is celebrating this day as the Constitution Day or National Law Day.

The journey of Independent India was not easy and to honour and pay tribute to invaluable contribution of our freedom fighters. The adoption of the Constitution of India, 26th November has been celebrated as the Law Day but from 2015, it is being celebrated as the Constitution Day. This year, to commemorate the 70th anniversary of the adoption of the Constitution of India, the Government of India has directed to launch a campaign focusing on creating awareness on the Preamble of the Constitution and the Fundamental Duties, enshrined in the Chapter IV-A (Article 51A) of the Constitution of India in a most befitting manner throughout the country.

Initially, the campaign is scheduled to commence on the Constitution Day i.e. 26th November 2019 and culminate on 14th April 2020, i.e. Birth Anniversary of Babasaheb B.R. Ambedkar, known as "SAMVIDHAN SE SAMRASTA TAK" as well as NALSA has directed to all SLSAs to observe yearlong campaign from 26th November 2019 to 26th November 2020 for creating awareness among masses.

As per directions of department of Justice, Government of India, NALSA and Hon'ble Rajasthan High Court, on the occasion of 70th anniversary of adoption of the Constitution of India, it has been decided to organize yearlong programmes from 26th November 2019 to 26th November 2020 across Rajasthan by RSLSA in collaboration with Government and Non-Government organizations.

The Chief Secretary of Rajasthan has been directed by the Cabinet Secretary of Union of India for organizing events from 26th November 2019 to 14th April 2020, also a request is extended to RSLSA to organize various programmes and events with State Level Programme on 26.11.2019 at B.M. Birla Auditorium, Jaipur to commemorate 70th anniversary of the Constitution.

An action plan for yearlong events has been prepared by RSLSA whereas whole week from 26th November 2019 to 2nd December 2019 has been observed as the Constitution Adoption Week. The necessary guidelines and instructions have been issued to all stakeholders including District Legal Services Authorities to observe 26th November 2019 as the Constitution Day and the Constitution Adoption Week.

Action Plan for the year 26th November 2019 to 26th November 2020

DLSAs

1. To organize mass level awareness programmes on 26th November and various other awareness programmes to be organised during the week from 26th November to 2nd December with help of resource persons and involve all Institutions of the District.
2. Reading of preamble and reciting the fundamental duties have to be performed.
3. To organize preparatory meetings with various Government Departments, organizations, NGOs and Bar Associations.
4. An opportunity shall be given to law students and law faculties to be a part of the event.
5. To organize Rallies, Prabhat Pheries, exhibition and other related activities on 26th November to make people aware about the importance of day of adoption.
6. To prepare a list of panel lawyers, PLVs, social workers, law faculties and law students in particular interns with DLSAs to act as resource person for effectively disseminating information about the fundamental duties and the preamble of Constitution.
7. To print and publish brochures, leaflets and informative material in Hindi so that people may become aware.
8. To organize small meetings in universities, colleges and schools for reading preamble and fundamental duties and also apprising them about importance of freedom struggle movement.
9. To organize quiz competitions, painting competitions and essay competitions across all schools whether the school is having Legal Literacy Club (LLC) or not on the subject.
10. To get in touch with various other organizations who may be involved in disseminating information to public at large.
11. Impressed upon to reach at least 50 lakh people in the State on 26th November itself and 100 lakhs during Constitution Week and preparation may be in such a manner that proper documentation and proper resource is planned before initiating process of outreach.
12. To carry out dissemination of information through local TV channels, local FM Radios and also other type of electronic and print Media.
13. To appoint nodal officers in every TLSCs to monitor the campaign.
14. Effective use Media including social media.

RSLSA has decided to print posters, leaflets and brochures in adequate number for dissemination so that they may be distributed all corners of Rajasthan.

Program organized by RSLSA

PRE PREPARATION

Program outline

Participation

- Rajasthan High Court & District Courts of Rajasthan
- Government of Rajasthan
- District Legal Services Authorities
- Taluka Legal Services Committee
- Bar Council of Rajasthan
- Bar Associations of Rajasthan
- Non-governmental organizations
- Civil Society organizations
- Private Organizations
- Individuals

Level of program

- State Level - At Jaipur
- District Level-all District Headquarters, Balotra and Merta
- All Sub Divisions/Taluka/Towns
- At 295 Panchayat Samities Headquarter
- At the village level Gram Panchayat including Villages and Dhanis under them
- At the level of University, College and Technical Colleges the special programs organised by DLSA in coordination with student representatives and college administration in which information will be provided on the importance of Indian Constitution and National freedom struggle.
- Legal Awareness programs by RSLSA in schools will be organized through the LLCs and wherein LLCs are not established DLSA will directly organize program.

Resource Persons

- Officers Connected with RSLSA/DLSAs
- Law Faculties & Law Students
- Panel Advocates & Bar Associations
- Para Legal Volunteers
- Social Workers & Public Spirited Citizens

Media Advocacy

- ❖ Use of projector/LCD/screen by RSLSA/DLSA
- ❖ Publicity by publication materials like books, posters, pamphlet, leaflet, brochures etc.
- ❖ Through social media accounts of RSLSA and DLSA like facebook,instagram and business WhatsApp.

Program Organization

On 26th november2019

Main function at state level

Functions at district level and taluka level

Organizing prabhatpheri and rallies

At school level essay, poster painting and quiz competitions

At district level essay, poster painting and quiz competitions

Performance of street theatre in remote villages for parting information of duties enshrined in the constitution

organizing awareness programs in jails of Rajasthan

Publications by RSLSA on Constitution Day

- Poster-information of Preamble of Constitution and Fundamental Duties
- Pamphlet (leaflet)-information of preamble of constitution and fundamental duties
- Brochure-information of fundamental duties
- Slip pad-information containing preamble of constitution and fundamental duties

The above mentioned publications were distributed throughout the state to be disseminated to interiors of every district including villages and dhanis and the slip pad were distributed to all students who participated in the program.

भारत का संविधान

संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर

अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**

मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें ;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें ;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें ;

(घ) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें ;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें ;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें ;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें ;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले ;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें ।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर ☎ 0141-2227481, फैक्स : 2227602

ई-मेल : rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, वेबसाईट : www.rlsa.gov.in

हेल्पलाईन 15100 9928900900

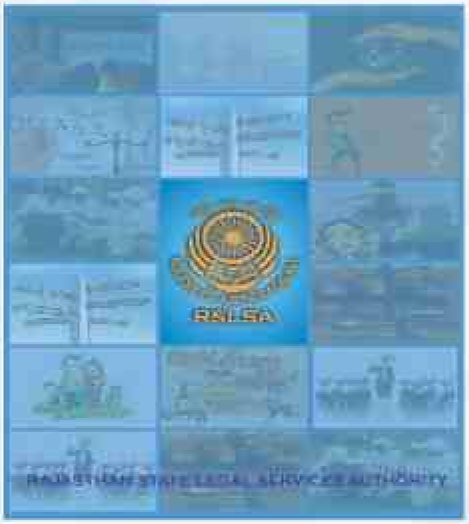

भारत के संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है :–

1. **संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें**

संविधान के आदर्शों का सारांश, संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है :–

- सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**
- प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
- तथा उन सब में **बन्धुता**, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो।

[illegible]

संविधान की प्रस्तावना (Preamble) [illegible]

संविधान के अन्तर्गत प्रमुख संस्थाएं तीन है :– कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें।

- हमारा राष्ट्र–ध्वज एवं राष्ट्र–गान हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। [illegible]
- राष्ट्र–ध्वज के विषय में निम्नलिखित बातें स्मरण रखने योग्य हैं :–
  - राष्ट्र–ध्वज तीन रंगों की पट्टिकाओं से बनता है जो कि आयताकार (Rectangular) होती हैं [illegible] 24 [illegible]
  - राष्ट्र–ध्वज किसी भी वस्तु को ढकने के लिए प्रयोग नहीं होता [illegible] 2002 के अनुसार है)
  - राष्ट्र–ध्वज को किसी भी कपड़ा, मेज या नाव के [illegible] लिए प्रयोग नहीं किया जाता।
  - राष्ट्र–ध्वज को इस प्रकार से प्रयोग या प्रदर्शित नहीं किया जाता जिससे उसे क्षति हो या [illegible]
  - यदि राष्ट्र–ध्वज [illegible]
  - राष्ट्र–ध्वज को किसी भी कुरसाज को ढकने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता।
  - राष्ट्र–ध्वज को किसी भी प्रकार के [illegible]
  - राष्ट्र–ध्वज की तकिये, रूमाल, नेपकिन्स [illegible]
  - राष्ट्र–ध्वज पर किसी भी प्रकार के अक्षर [illegible]
  - राष्ट्र–ध्वज को किसी भी रूप में विज्ञापन के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। [illegible]
  - राष्ट्र–ध्वज को किसी भी वस्तु को [illegible]

2. **स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें**

[illegible]

3. **भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें**

[illegible]

[illegible]

4. **देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें :**

[illegible] हमारा मौलिक कर्तव्य है।

5. **भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है :**

[illegible] "वसुधैव कुटुम्बकम्" [illegible]

[illegible] "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।" [illegible]

6. **हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें**

- कला, शिल्प–कला, वास्तुकला, गणित, विज्ञान एवं चिकित्सा, इत्यादि के क्षेत्र में भारत का विशेष योगदान रहा है।
- भारत, विश्व के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों एवं साहित्य का जन्म–दाता है।
- भारत में प्राचीन दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेकों ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनमें दुर्ग, महल, मंदिर, गुफा–चित्र, मस्जिदें और गिरिजाघर हैं।
- भारत, विश्व के अनेक महान धर्मों की जन्म स्थली है जैसे कि हिन्दू, बौद्ध, जैन व सिख धर्म।
- हमारे देश का इतिहास हमें शान्ति, प्रेम, अहिंसा व सत्य [illegible]
- हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐतिहासिक [illegible]

7. **प्राकृतिक पर्यावरण की, जिस के अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें :**

[illegible]

- वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972
- जल प्रदूषण (प्रतिषेध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- वायु प्रदूषण (प्रतिषेध व नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- वातावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986

8. **वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें :**

[illegible]

[illegible]

9. **सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें :**

[illegible]

10. **व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले :**

[illegible]

11. **यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें :**

- [illegible]
- [illegible] अधिनियम, 2009 [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

मूल कर्तव्यों की विशेषताएं एवं महत्व :–

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
[illegible] 0141-2227481, [illegible] 2227602
[illegible]

हेल्पलाइन [illegible]

Programmes & Participation on 26th November 2019

S. No.	District (DLSA)	Total Number of Programmes	Total Number of Participants	Total Number of Resources
1	Ajmer	1834	639604	24
2	Alwar	1206	229142	1144
3	Balotra	8694	**615934**	8852
4	Banswara	568	159664	46
5	Baran	3704	322046	3737
6	Bharatpur	1020	150000	668
7	Bhilwara	1331	122642	1321
8	Bikaner	2388	280815	83
9	Bundi	663	111177	76
10	Chittorgarh	1086	217200	356
11	Churu	2250	308855	2250
12	Dausa	2131	273290	111
13	Dholpur	1029	128988	1017
14	Dungarpur	198	104402	108
15	Ganganagar	2416	376620	671
16	Hanumangarh	1715	280443	1556
17	Jaipur_District	951	266020	83
18	Jaipur_metro	22	4618	30
19	Jaisalmer	260	260000	40
20	Jalore	2146	513313	370
21	Jhalawar	1942	183344	72
22	Jhunjhunu	1895	**562456**	1475
23	Jodhpur_District	3171	**632209**	40
24	Jodhpur_Metro	666	60800	773
25	Karauli	513	116814	545
26	Kota	201	24470	153
27	Merta	1120	240235	1124
28	Pali	2083	229288	572
29	Pratapgarh	768	116851	1426
30	Rajsamand	625	108847	625
31	Sawaimadhopur	374	100180	69
32	Sikar	1709	426234	50
33	Sirohi	89	21375	59
34	Tonk	961	173494	333
35	Udaipur	419	175500	368
	Total	**52148**	**8536870**	**30227**

RSLSA, Jaipur :
Total Number of Programmes - 3, Total Number of Participants - 5000

Constitution Adoption Week (26 November to 02 December)

Activities by District Legal Services Authorities during Constitution Adoption Week

S. No.	District Name	Total		
		Total Number of Programmes (26 Nov to 2 Dec)	Total Number of Participants(26 Nov to 2 Dec)	Total Number of Person Deployed (26 Nov to 2 Dec)
1	Ajmer	2024	681532	168
2	Alwar	2157	439685	1998
3	Balotra	9046	650914	9222
4	Banswara	609	168453	322
5	Baran	3923	377091	3957
6	Bharatpur	1957	390048	953
7	Bhilwara	1393	134279	1383
8	Bikaner	2754	322401	158
9	Bundi	706	116939	99
10	Chittorgarh	1322	264020	974
11	Churu	2689	385660	2689
12	Dausa	2297	299705	185
13	Dholpur	1047	131680	1035
14	Dungarpur	354	118265	408
15	Ganganagar	2655	393800	767
16	Hanumangarh	1997	319993	1644
17	Jaipur_District	1034	293014	93
18	Jaipur_metro	184	25254	200
19	Jaisalmer	333	266100	100
20	Jalore	2246	549913	485
21	Jhalawar	2242	208209	178
22	Jhunjhunu	1972	636955	1545
23	Jodhpur_District	3506	688389	280
24	Jodhpur_Metro	2248	364469	1951
25	Karauli	561	128903	641
26	Kota	355	44508	300
27	Merta	1486	292886	1526
28	Pali	2321	268693	1154
29	Pratapgarh	772	118151	1436
30	Rajsamand	820	143804	752
31	Sawaimadhopur	553	141385	248
32	Sikar	2243	474651	193
33	Sirohi	173	37870	173
34	Tonk	2516	210586	1830
35	Udaipur	581	305670	502
36	Total	63076	10393875	39549

शपथ/हस्ताक्षर अभियान

मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा/रखूँगी, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखुँगा/रखुँगी और देश में भाईचारा बनाये रखने के लिये काम करूँगा/करूँगी। मैं भारत के संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का श्रृद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूँगा/करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी भारतीयों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखुंगा/रखुंगी।

CONSTITUTION DAY CELEBRATION

His Excellency Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra

CONSTITUTION DAY CELEBRATION

Hon'ble Chief Minister of Rajasthan, Mr. Ashok Gehlot

Hon'ble Mrs. Justice Sabina, Judge Rajasthan High Court

Hon'ble Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge Rajasthan High Court

Hon'ble Mr. Justice Sanjeev Prakash Sharma,
Judge Rajasthan High Court

Mr. D.B. Gupta, Chief Secretary, Government of Rajasthan

Mr. S.K. Jain, District & Sessions Judge, Jaipur Metropolitan

RSLSA – State Level Function – Jaipur

The State Level Programme was organized on 26th November at BM Birla Auditorium, Jaipur in association with Law & Legal Affairs Department, Government of Rajasthan. The participant includes Judicial Officers, Advocates, Faculties and Student of Law, Department of various Universities and Law Colleges, representatives of prominent civil service organizations.

Dignitaries

Hon'ble Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot, was chief guest whereas Hon'ble Mrs. Justice Sabina, Judge, Rajasthan High Court and Chairperson of RHCLSC Jaipur Bench has presided over the function. Hon'ble Mr. Justice S.P. Sharma, Judge, Rajasthan High Court was subject speaker along with Shri D.B. Gupta, Chief Secretary of Rajasthan also graced the occasion. The function was also graced by Hon'ble Mr. Justice Prakash Gupta, Hon'ble Mr. Justice Pankaj Bhandari, Judge of Rajasthan High Court, Government Officers, President of Bar Council of Rajasthan, President of the Bar Association, Jaipur, Professors of Law and Senior Judicial Officers.

Inaugural Session (09.30 – 10.30 AM)

During this session, the recitation of Preamble to all 1500 present among gathering was performed. The welcome address was delivered by Mr. Ashok Kumar Jain, Member Secretary of RSLSA, whereas introductory address was delivered by Mr. D.B. Gupta, Chief Secretary. The special subject address by Hon'ble Mr. Justice S.P. Sharma, Judge Rajasthan High Court, the presidential address was delivered by Hon'ble Mrs. Justice Sabina, Judge Rajasthan High Court.

The Key-Note address was delivered by Sh. Ashok Gehlot, Hon'ble Chief Minister of Rajasthan.

Technical Session (10-30 to 11.30 am)

During this session, the President of Bar Council of Rajasthan, Director of RSLSA, Mrs. Archana Mishra, Eminent Law Professors had addressed all participants regarding various provisions of Constitution of India.

संविधान दिवस

संविधान दिवस
26 नवम्बर 2019

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संविधान दिवस

को
70वीं वर्षगांठ
संविधान दिवस
26 नवम्बर, 2019

2. Delhi Public School, Vidhayadhar Nagar Jaipur

A special assembly was conducted at Delhi Public School, Jaipur on 26th November, 2019 to mark the celebration of the 70th Anniversary of India's Constitution Day.

3. Delhi Public School, Ajmer Road, Jaipur

A special program was organized on 26th November 2019 on Constitution Day at 08.15 AM at Delhi Public School, Ajmer Road, Jaipur. The basic theme of the programme was to make students aware of the preamble and fundamental duties enshrined in the Constitution.

4. Radio Campaign

Radio Campaign plays and significant role in creating awareness. Programme on AIR, Vividh Bharti were recorded and broadcast over the state. The programme was broadcast on 26 channels of AIr and 3 FM channels of (Vividh Bharti).

5. TV Campaign

Two Programme at state level were recorded on telecast on DD Rajasthan as well as on private TV channels. Mr. Ashok Kumar Jain, Member Secratary, Rajasthan State Legal Services Authority attended the above programmes and he said that Constitution day is celebrated on 26 November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India. He explained the significance of Constitution with special reference to India. He also said that Indian Constitution is the Supreme Law of Lamp and Preamble of the Constitution is the soul of the Constitution. He also emphasized the importance of Fundamental Duties and why citizens of India should follow these duties.

CELEBRATION OF CONSTITUTION DAY ACROSS THE STATE

The constitution day was celebrated across the state on 26th november2019 at all levels including District and Taluka level in association with Bar Association, other government departments, law colleges, educational institutions and NGOs. Various programmes were organized on this day as per the program outline and guidelines send by RSLSA. People from every corner of society participated in the program. The occasion was celebrated in all its solemnity. It was marked by conduct of a special Assembly by the students of the school. The celebration stated with various rallies taken out by the school students followed by oath on Preamble taken by student. The Assembly grounds echoed with the words **"We the People of India........."**.

In some of the district a specially designed poster-panting, essay and quiz was conducted to enhance the awareness of the student about their Constitution. Also in every district a special programme with Bar Associations was also conducted on the topic of importance of Fundamental Duties in the Indian Constitution.

Programs Organised in Every District of Rajasthan by DLSAs

Awareness Programes on Preamble and Fundamental Duties

- Deliberations with Bar associations
- Rallies/Prabhat Pheri
- Signature Campaign
- Publicity Through Media, Radio, Print Media
- Essay and Poster-Painting Competitions
- Recitation of Preamble

Total programs across Rajasthan – 52148
Total beneficiaries across Rajasthan - 8536870
Total number of persons deployed – 30227

भारतीय संविधान के बारे में 74 लाख बच्चों व नागरिकों को जागरूक किया

जयपुर | किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिक ही करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्याय एवं आजादी को बनाये रखने की जिम्मेदारी भी नागरिकों पर है। जिसके लिए नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं। इन मौलिक कर्तव्यों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 26 नवंबर से 02 दिसंबर 2019 तक संविधान सप्ताह मना रहा है। 26 नवंबर को राजस्थान भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कुल 48 हजार 33 कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनमें कुल मिलाकर 74 लाख 14 हजार 627 बच्चे व नागरिक शामिल हुए, जिसमें 30 हजार 219 समाजसेवी,एनजीओ कार्यकर्ता, अध्यापक, पेरा लीगल वॉलेंटियर शामिल थे। इस बारे में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक जैन का कहना है कि सप्ताह के अंतिम दिन तक शहर, गांव, कस्बे, ढाणी- ढाणी तक पहुंच कर एक करोड़ लोगों को संविधान के बारे में अध्याय चार-ए (अनुच्छेद 51 ए) में वर्णित प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा।

Details of the Main Activities organized across Rajasthan

Ajmer

Total Number of Programmes	-	1834
Total Number of Participants	-	639604
Total Number of Person Deployed	-	24

Rallies

Deliberations with Bar Associations

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Recitation of Preamble

Signature Campaign

Essay and Poster- Painting Competitions

देश के संविधान का हो सम्मान, निकाली रैलियां

70वें संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित

नव अजमेर

संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई, कर्तव्यों व दायित्वों की दी जानकारी

Print Media

Alwar

Total Number of Programmes - 1206
Total Number of Participants - 229142
Total Number of Person Deployed - 1144

Awareness programmes on preamble and fundamental duties

Awareness programmes on preamble and fundamental duties

Rallies

Deliberations with Bar associations

Essay and Poster- Painting Competitions

Recitation of Preamble

Signature Campaign

दैनिक [खबरों की दुनिया]

संविधान दिवस पर संविधान की दी जानकारी

हस्ताक्षर अभियान भी चलाया

संविधान दिवस पर हुए कार्यक्रम

संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद किया

संविधान दिवस जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न शिविर आयोजित

जयपुर मिड-डे टाइम्स

अलवर। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा बुधवार को संविधान दिवस जागरूकता अभियान के दूसरे दिवस पर विभिन्न विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया जिनमे संविधान के बारे में जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की सचिव एवं

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती रेणुका सिंह हुड्डा ने बताया कि प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा अलवर जिले के विभिन्न विद्यालयोंए कोलेजों एवं अन्य स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये गये। पैरा लीगल वालंटियर मुस्तफा खान द्वारा रा0उच्च प्रा0 विद्यालय लिवारी रा0उच्च प्रा0 विद्यालय उमरैण, रा0उच्च प्रा0 विद्यालय उमरैण अलवर में पैरा लीगल वालंटियर रिपुसूदन चौधरी द्वारा निर्वाणवन फाउंडेशन हाजीपुर, रा0उच्च प्रा0 विद्यालय कस्बा डहरा, रा0उच्च मा0 विद्यालय हाजीपुर अलवर मे एवं पैरा लीगल वालंटियर्स अलका शर्मा, ओमप्रकाश द्वारा विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये गए।

जयपुर टाइम्स 2

शिविरों में स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थियों को दी संविधान की जानकारी

विधिक साक्षरता क्लबों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से विधिक प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन

न्यूज़ ऑफ दि डे

अलवर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। जिसमें अलवर जिले के विभिन्न ब्लॉकों से ब्लॉक स्तर एवं क्लब पर विजेता प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। उक्त प्रतियोगिताओं में निबंध, पोस्टर/पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण लाल धाबरिया, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ विनोद धवन, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटकासिम राजकुमार जैन, राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जसवंत सिंह, विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए शिक्षकगण मौजूद रहे।

Print Media

Balotra

Total Number of Programmes - 8694
Total Number of Participants - 615934
Total Number of Person Deployed - 8852

Rallies

संविधान दिवस को लेकर शपथ कार्यक्रम आयोजित

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी आज

संविधान दिवस पर हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन

Recitation of Preamble

Recitation of Preamble

Signature Campaign

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Deliberations with Bar Associations

Banswara

Total Number of Programmes	**-**	**568**
Total Number of Participants	**-**	**159664**
Total Number of Person Deployed	**-**	**46**

Recitation of Preamble

Signature Campaign

Signature Campaign

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

संविधान का गुणगान, बच्चों को दिया पालन का पैगाम

Print Media

Deliberations with Bar Associations

Baran

Total Number of Programmes - 3704
Total Number of Participants - 322046
Total Number of Person Deployed - 3737

Recitation of Preamble

Recitation of Preamble

Signature campaign

दैनिक भास्कर

26-Nov-2019
Page 3

संविधान दिवस आज • राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से देंगे जानकारी

मौलिक कर्तव्यों के लिए करेंगे जागरूक, दिलाएंगे शपथ

मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के लिए शपथ आज

Print Media

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Bharatpur

Total Number of Programmes - 1020
Total Number of Participants - 150000
Total Number of Person Deployed - 668

Recitation of preamble

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Deliberations with Bar Associations

भरतपुर

जिलेभर में संविधान दिवस पर हुए कार्यक्रम, मूल कर्तव्यों के पालन की शपथ भी दिलाई

देश के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शपथ दिलाई

संविधान दिवस पर सेमीनार में मूल कर्तव्यों के बारे में दी जान

संविधान सार्थक अभिव्यक्ति की आजादी देता है कुलपति अश्वनी बंसल

राजकीय विधि महाविद्यालय में संविधान दिवस

Print Media

Bhilwara

Total Number of Programmes	-	1331
Total Number of Participants	-	122642
Total Number of Person Deployed	-	1321

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar Associations

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Essay and Poster- Painting Competitions

Signature Campaign

संविधान दिवस पर आज प्रभातफेरी

से मौजूद, कारोबार के लिए अनुकूल जिला स्तर पर खिलाड़ियों

संविधान दिवस पर एक सप्ताह होंगे कार्यक्रम

Print Media

Bikaner

Total Number of Programmes - 2388
Total Number of Participants - 280815
Total Number of Person Deployed - 83

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Signature Campaign

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar Associations

संविधान दिवस • न्यायालय परिसर, पुलिस थाना, स्कूलों में शपथ ली, स्कूलों में हुई निबंध प्रतियोगिताएं

भारतीय संविधान देश की हैं सर्वोच्च विधिः शैलेन्द्र

संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की ली शपथ

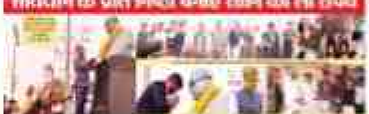

संविधान के सिद्धांतों व आदर्शों को कायम रख उसका पालन करने का लिया संकल्प

संविधान दिवस: विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में विचार गोष्ठियां सहित हुए आयोजन, संकल्प लिए

संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्य बताए

न्यायालय परिसर में मनाया गया 70वां संविधान अंगीकृत दिवस

मंगलवार को जिला एवम् सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी के निर्देशन में न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व बार कांउसिल बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में संविधान अंगीकृत दिवस मनाया गया। जिसमें न्यायालय के सभी न्यायिक अधिकारीगण, बार संघ अध्यक्ष मुमताज अली भाटी, राजस्थान बार कौंसिल के सदस्य कुलदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश चौधरी व समस्त न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा भाग लिया गया। सचिव पवन कुमार अग्रवाल द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना व भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की जानकारी प्रदान की गयी इसके साथ समस्त उपस्थितगण को भारत के संविधान में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन करने की शपथ भी दिलवायी गई तथा साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। न्यायाधीश मदन लाल भाटी के निर्देशानुसार बीकानेर न्यायक्षेत्र व समस्त तालुका न्यायालयों के न्यायिक अधिकारीगण, पैनल अधिवक्तागण व पीएलवी द्वारा सरकारी व गैर सरकारी स्कुल, कॉलेज, महाविद्यालयों, निजी शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 70वें संविधान अंगीकृत दिवस के दिन लगभग 1 लाख से भी अधिक आमजन को संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों से अवगत कराया गया तथा आर्टिकल 51ए के प्रावधानों का पाठन करवाया गया। बार एसो. की ओर से न्यायिक अधिकारियों एवं वकीलों के सामूहिक आयोजन में संविधान की प्रस्तावना व मूल अधिकारों का पठन किया गया व राष्ट्र की एकता अखण्डता, समानता आदि मूल कर्तव्यों के प्रति सभी अधिवक्ता बन्धुओं ने एवं न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण ने शपथ ली। आयोजन में वक्ताओं ने कहा कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और प्रत्येक धर्म, जाति एवं वर्ग के लोगों का अपने-अपने विश्वासों के अनुसार रहने और विकास करने का अधिकार है और संविधान में प्रदत्त किया गया

Bundi

Total Number of Programmes - 663
Total Number of Participants - 111177
Total Number of Person Deployed - 76

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Rallies

Signature Campaign

Recitation of Preamble

Essay and Poster- Painting Competitions

संविधान की प्रस्तावना पर विचार गोष्ठी आयोजित

संविधान के बारे में ग्रामीणों को दी जानकारी

संविधान दिवस पर विभिन्न गतिविधियां, दिलवाई शपथ

नियम बदले, छात्रवृत्ति से रह जाएंगे वंचित

कार्यक्रम आयोजित किए

संविधान दिवस पर हुए विभिन्न आयोजन

डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

संविधान दिवस में पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास की दिलाई शपथ

मौलिक कर्तव्यों की पालना की शपथ दिलवाई

दैनिक भास्कर

03-Dec-2019
बूंदी Page 3

बच्चों को संविधान के मौलिक कर्तव्यों की पालना की शपथ दिलवाई

भास्कर न्यूज | बूंदी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 70वें संविधान अंगीकृत दिवस को लेकर विधिक जागरूकता सप्ताह मनाया।

प्राधिकरण सचिव के विनोदकुमार वाजा ने बताया कि सोमवार को मिडिल स्कूल नानकपुरिया, महालक्ष्मी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय सम्प्रेषण-किशोरगृह, रघुकुल टीटी कॉलेज रघुवीरपुरा में छात्रा-छात्राओं को संविधान के मूल कर्तव्यों की पालना की शपथ दिलवाई गई। संविधान के कर्तव्यों की पालना के लिए बैनर पर हस्ताक्षर करवाए गए। संविधान से संबंधित पोस्टर-पम्पलेट्स बांटे गए। अधिवक्ता ग्यारसीलाल गुर्जर, पीएलवी बलवीर प्रजापत, बाल अधिकारिता विभाग में सहायक निदेशक आरती जैन व सम्प्रेषण-किशोरगृह अधीक्षक हुकमचंद जाजोरिया मौजूद थे। इसी तरह महालक्ष्मी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व रघुकुल टीटी कॉलेज रघुवीरपुरा में अधिवक्ता ग्यारसीलाल गुर्जर द्वारा शिविर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एड्स की रोकथाम, बचाव व पीड़ित के प्रति महानुभूति रखने की जानकारी दी गई।

Print Media

Chittorgarh

Total Number of Programmes	-	1086
Total Number of Participants	-	217200
Total Number of Person Deployed	-	356

Deliberations with Bar associations & Recitation of preamble

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar associations

Signature campaign

Churu

Total Number of Programmes	-	2250
Total Number of Participants	-	308855
Total Number of Person Deployed	-	2250

Recitation of preamble

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar Associations

राजस्थान

जिले में संविधान दिवस 26 को

दिलोई में निःशुल्क ईसनटी रोग चिकित्सा शिविर 26 को

युगपक्ष

26 नवम्बर को जिले में संविधान दिवस मनाया जायेगा

Print Media

Dausa

Total Number of Programmes - 2131
Total Number of Participants - 273290
Total Number of Person Deployed - 111

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Deliberations with Bar associations

Recitation of Preamble

Signature Campaign

आज संविधान दिवस पर स्कूलों में होगी विशेष सभा

दौसा | जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक घनश्याम मीणा ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त संस्था प्रधानों सरकारी-गैर सरकारी विद्यालयों को संविधान दिवस पर प्रार्थना सभा में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों की जानकारी विद्यार्थियों, अभिभावकों को वाचन कर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अंबेडकर से जुड़े विषयों पर वाद-विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा।

संविधान दिवस पर आज लोगों को देंगे मूल कर्तव्यों की जानकारी

दौसा के न्यायालय परिसर में संगोष्ठी का भी आयोजन होगा

कार्यालय संवाददाता | दौसा

भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को संविधान अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इस वर्ष संविधान को अंगीकृत हुए 70वां वर्ष होने के कारण भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 26 नवम्बर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं। जिसकी पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 26 नवम्बर को न्यायालय परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि गोष्ठी में लोगों को संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्तव्यों की संविधान प्रदत्त जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिले के न्यायिक अधिकारियों, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलियन्टर्स द्वारा भी दौसा जिले के निजी एवं सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों, लीगल लिट्रेसी क्लबों, पुलिस थानों, कारागृहों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भी लोगों को संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्तव्यों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

अंबेडकर सर्किल पर आज मनाएंगे संविधान दिवस

दौसा | अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच की बैठक सोमवार को जिलाध्यक्ष धर्मपाल मीणा की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से 26 नवम्बर को सुबह 8 बजे खटीक मोहल्ला स्थित अंबेडकर सर्किल पर संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।

Print Media

Dholpur

Total Number of Programmes - 1029
Total Number of Participants - 128988
Total Number of Person Deployed - 1017

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Deliberations with Bar associations

Recitation of Preamble

Signature Campaign

संविधान दिवस पर आज

स्कूल-कॉलेजों और कार्यालयों में पढ़ी जाएगी संविधान की प्रस्तावना

धौलपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शक्ति सिंह ने बताया कि यह वर्ष संविधान को अंगीकृत करने का 70वां वर्ष है। इस अवसर पर सम्पूर्ण जिला, तालुका विधिक सेवा समितियां, केन्द्र व राज्य सरकार के अन्य विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं की सहायता से जिले के अधिक से अधिक नागरिकों को संविधान प्रदत्त जानकारी दी जाएगी। जिले के समस्त कॉलेजों, स्कूलों, शासकीय विभाग, एनजीओ, बार एसोसिएशन, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल सहित अन्य संस्थान जो इन कार्यक्रमों में स्वैच्छिक रूप से सम्मिलित हैं, के द्वारा व्यापक रूप से जिले में जिला स्तर से लेकर शहरों व कस्बों, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अभियान को भारत के संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा।

संविधान के पालन व सम्मान की दिलाई शपथ

तालुका विधिक सेवा समिति का कार्यक्रम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

[illegible]

सरपंचों को मौलिक कर्तव्यों का पढ़ाया पाठ

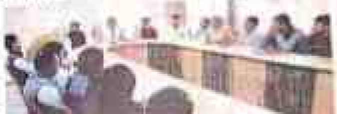

[illegible]

भारतीय संविधान के पथ पर चलने की ली शपथ

[illegible]

मौलिक कर्त्तव्यों का पालन हो- सिंह

धौलपुर. विद्यार्थियों को जानकारी देते सचिव।

पीएचसी जाटौली का सचिव ने किया निरीक्षण

पचगांव विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

धौलपुर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 2 दिसम्बर तक 'संविधान सप्ताह' का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को लाल बाल शिक्षा मंदिर माध्यमिक विद्यालय पचगांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शक्ति की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया।

इस अवसर पर सचिव सिंह ने भारत के संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के बारे में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं अध्यापकों को सम्बोधित करते हुए बताया कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिक ही करते हैं। यदि नागरिक राष्ट्र के विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं है तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। राष्ट्र को निरन्तर नई ऊंचाईयों पर लेकर जाने की जिम्मेदारी देश के नागरिकों पर है। भारतवर्ष की सर्वशक्ति भारत के नागरिकों में निहित है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्याय एवं आजादी को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों पर है।

इसलिए, हम सभी को चाहिए कि हम सभी अपने कर्तव्य के प्रति इस कदर सजग रहें कि हमारा देश पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सामंजस्य का एक उत्कृष्ट राष्ट्र बनकर उभरे। हमारी अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों के विषय में जागरूकता अति आवश्यक है।

विद्यालय में संविधान की प्रस्तावना व आर्टिकल 51ए के प्रावधानों, मूल कर्तव्यों की जानकारी के साथ उपस्थित छात्र-छात्राओं, अध्यापकों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाईड स्थानीय संघ के सचिव मनोज कुमार शर्मा, लखनबाबू शर्मा, रामेश्वर सिंह, सुरेशचंद, अमीरी सिंह, जगदीश दुबे, शिवराम प्रजापति, रामफूल, पप्पूलाल मीना, गीता शर्मा, रूपम आदि उपस्थित रहे। इसी दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शक्ति सिंह द्वारा पीएचसी जाटौली का निरीक्षण भी किया।

संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों की दिलाई शपथ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

[illegible]

छिनेपर के छात्र-छात्राओं ... दिलाई संविधान ...

[illegible]

राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिक ही करते हैं - शक्ति सिंह

पचगांव में विधिक शिविर आयोजित

[illegible]

अधिकारों के उपयोग के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी पालन हो : एडीजे शक्ति सिंह

[illegible]

संविधान दिवस पर आज

स्कूल-कॉलेजों और कार्यालयों में पढ़ी जाएगी संविधान की प्रस्तावना

[illegible]

संविधान दिवस पर महाविद्यालयों, विद्यालयों, शासकीय विभागों में पढ़ी जाएगी संविधान की प्रस्तावना

[illegible]

Print Media

Dungarpur

Total Number of Programmes - 198
Total Number of Participants - 104402
Total Number of Person Deployed - 108

Recitation of Preamble

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Signature campaign

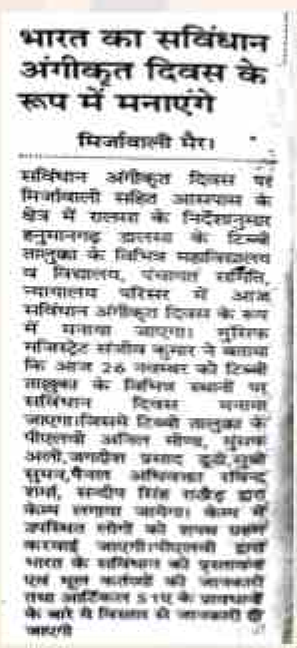

भारत का संविधान अंगीकृत दिवस के रूप में मनाएंगे

मिर्जावाली मेर।

संविधान अंगीकृत दिवस पर मिर्जावाली सहित आसपास के क्षेत्र में सरकार के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ प्रशासन के टिब्बी तालुका के विभिन्न महाविद्यालय व विद्यालय, पंचायत समिति, न्यायालय परिसर में आज संविधान अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुंसिफ मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने बताया कि आज 26 नवम्बर को टिब्बी तालुका के विभिन्न स्थानों पर संविधान दिवस मनाया जाएगा।जिसमे टिब्बी तालुका के पीएलवी अनिल सोनी, सुल्तान अली, जगदीश प्रसाद दूबी, सुश्री सुमन, पैनल अधिवक्ता रविन्द्र शर्मा, सन्दीप सिंह राठौड़ द्वारा कैम्प लगाया जायेगा। कैम्प में उपस्थित लोगों को शपथ ग्रहण करवाई जाएगी।पीएलवी द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों की जानकारी तथा अनुच्छेद 51ए के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी

संविधान का महत्व बताकर एकता की शपथ दिलाई

अखण्डता और एकता की दोहराई शपथ

Print Media

Ganganagar

Total Number of Programmes - 2416
Total Number of Participants - 376620
Total Number of Person Deployed - 671

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Recitation of Preamble

Rallies

Essay and Poster- Painting Competitions

Deliberations with Bar Associations

Hanumangarh

Total Number of Programmes - 1715
Total Number of Participants - 280443
Total Number of Person Deployed - 1556

Recitation of Preamble

Rallies

Signature Campaign

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Essay and Poster - Painting Competitions

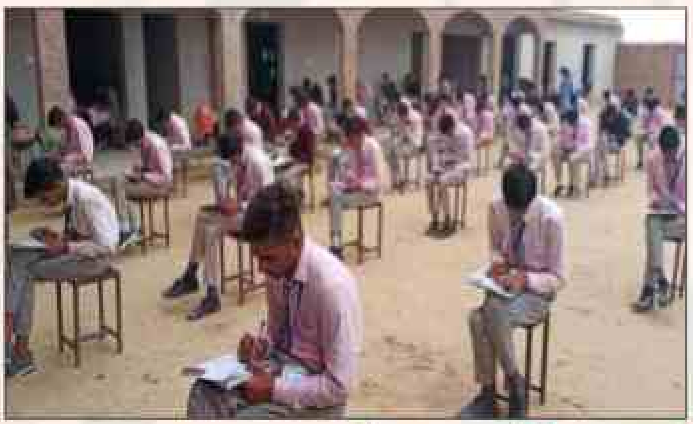

Essay and Poster - Painting Competitions

भारत का संविधान अंगीकृत दिवस के रूप में मनाएंगे

मिर्जावाली मेर।

संविधान अंगीकृत दिवस पर मिर्जावाली मेर आसपास के क्षेत्र में राज्य के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ ... के टिब्बी तहसील के विभिन्न महाविद्यालय व विद्यालय, पंचायत समिति, न्यायालय परिसर में आज संविधान अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुंसिफ मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने बताया कि आज 26 नवम्बर को टिब्बी तहसील के विभिन्न स्थानों पर संविधान दिवस मनाया जाएगा। जिसमें टिब्बी तहसील के पीएलवी अनिल मीणा, मुंशफ अली, जगदीश प्रसाद दूधी, मुन्नी सुमन, पैनल अधिवक्ता रविन्द्र शर्मा, मन्दीप सिंह राठौड़ द्वारा कैम्प लगाया जायेगा। कैम्प में उपस्थित लोगों को शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। पीएलवी द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों की जानकारी तथा आर्टिकल 51 ए के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी

संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन

संविधान के बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी दी

हनुमानगढ़।

संविधान पर विस्तृत जानकारी दी

मिर्जावाली मेर

श्री श्याम देव स्कूल भोमपुरा में संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों व अध्यापकों को शाला निदेशक सुरेंद्र भादू ने मूल कर्तव्यों का पालन करने की शपथ दिलाई। तथा संविधान पर विस्तृत जानकारी बच्चों को दी। कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 व 12 के बच्चों की निबंध व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया जिसमें सोनिया भाकर, अम्बिका खीचड़, प्रिया नेहरा, पूजा [illegible] सुथार, प्रियंका जोड़ला, [illegible] भादू मनीष जाखड़, आत्माराम गेदर व अजय रणवां का निबंध लेखन शानदार रहा वहीं पोस्टर प्रतियोगिता में [illegible] अव्वल रहे। कार्यक्रम में [illegible] उपस्थित रहे। [illegible] आसपास के क्षेत्र में राज्य के निर्देशानुसार टिब्बी तहसील के विभिन्न महाविद्यालय व विद्यालय, पंचायत समिति, न्यायालय परिसर में संविधान अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया गया। जिसमें टिब्बी तहसील के पीएलवी अनिल मीणा, मुंशफ अली, जगदीश प्रसाद दूधी, पैनल अधिवक्ता रविन्द्र शर्मा सहित पीएलवी व अधिवक्ता द्वारा कैम्प लगाया गया।

संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य: मजिस्ट्रेट बिश्नोई

- संविधान दिवस पर लगाया विधिक साक्षरता शिविर

वर्तमान हालात व देश की विभिन्नताओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए संविधान के प्रावधानों की पालना करना आवश्यक

न्यायालय परिसर व शिक्षण संस्थाओं में मनाया संविधान दिवस, मूल कर्तव्यों का पालन करने की शपथ दिलवाई

विद्यालय में संविधान दिवस मनाया

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

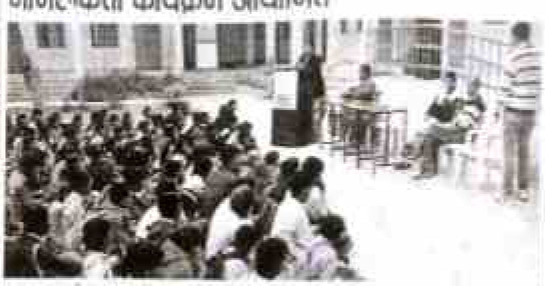

संविधान दिवस पर हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ

संविधान से ही मिला समानता का अधिकार, इसमें हैं सब समान

Print Media

Jaipur District

Total Number of Programmes	-	951
Total Number of Participants	-	266020
Total Number of Person Deployed	-	83

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Rallies

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar Associations

संविधान दिवस मनाया

संविधान ही हमारा जीवन, मौलिक अधिकार बताए

राजपूताना कॉलेज में उपस्थित विद्यार्थी

कोटपूतली हंस कॉलेज में अतिथियों का सम्मान करते प्राचार्य।

Print Media

Jaipur Metro

Total Number of Programmes	-	22
Total Number of Participants	-	4618
Total Number of Person Deployed	-	30

Signature campaign

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar Associations

ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

वकीलों और कर्मचारियों ने ली संविधान की शपथ

सांगानेर न्यायालय में संविधान दिवस पर मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट विनोद गुप्ता व ज्योति सिंह मीणा, महानगर मजिस्ट्रेट रोमा भाटिया ने बताया कि संविधान प्रदत्त अधिकारों के अलावा हमारे ऊपर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है बार अध्यक्ष हंसराज भड़वाल महासचिव विनोद डोबटया अन्य अधिवक्ताओं व कर्मचारियों ने संविधान की शपथ ली।

स्टेट अपडेट

र में हुए कार्यक्रम

जयपुर। सांगानेर न्यायालय में संविधान दिवस मनाया गया

कुमावत निजी सहायक एवं भावेश व्यास कनिष्ठ सहायक भी उपस्थित रहे। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय (सूचना केन्द्र) के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सुबह 11 बजे शपथ ली। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पूरणमल, राजेंद्र कुमार, देवेंद्र सिंह चावड़ा, रमेश कुमार शर्मा, लोकेश कुमार जैन, कमलेश पारीक, किशन कुमार टांक, मुकेश कुमार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

जयपुर। जयपुर सांगानेर स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। बार के महासचिव विनोद डोबटया ने बताया कि मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट विनोद गुप्ता एवं ज्योति सिंह मीणा, महानगर मजिस्ट्रेट रोमा भाटिया एवं अधिवक्ताओं ने संविधान की महत्ता बताते हुए कहा कि हमें संविधान प्रदत्त अधिकारों के अलावा हमारे ऊपर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, ताकि संविधान की मूल आत्मा के अनुसार देश और नागरिकों का विकास हो सके। इस अवसर पर बार अध्यक्ष हंसराज भड़वाल सहित अन्य अधिवक्ताओं ने संविधान की शपथ ली।

Print Media

Jaisalmer

Total Number of Programmes	-	260
Total Number of Participants	-	260000
Total Number of Person Deployed	-	40

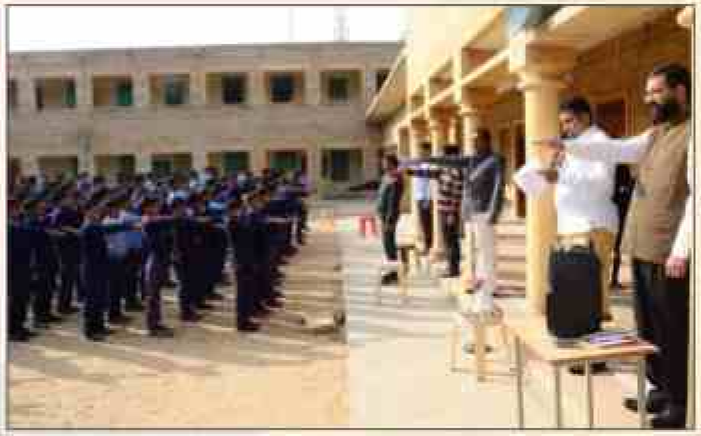

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar associations

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Essay and Poster - Painting Competitions

Rallies

बच्चों को मूल कर्तव्यों की दी जानकारी

ली संविधान की शपथ

14 तक मनाया जाएगा संविधान दिवस कार्यक्रम

स्कूलों में विधिक सेवा सप्ताह के तहत विद्यार्थियों ने ली संविधान की शपथ

संविधान सप्ताह के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित

संविधान सप्ताह के तहत दो दिसंबर तक आयोजन

संविधान दिवस पर मूल कर्तव्यों की दी जानकारी

मूल कर्तव्यों की भी दी जानकारी...

संविधान सप्ताह के तहत हुए विविध कार्यक्रम

नवोदय विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

संविधान सप्ताह के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित

70 साल पूरे होने पर इस बार स्कूलों में दी जा रही है संविधान की जानकारियां

Print Media

Jalore

Total Number of Programmes	-	2146
Total Number of Participants	-	513313
Total Number of Person Deployed	-	370

Rallies

Recitation of Preamble

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

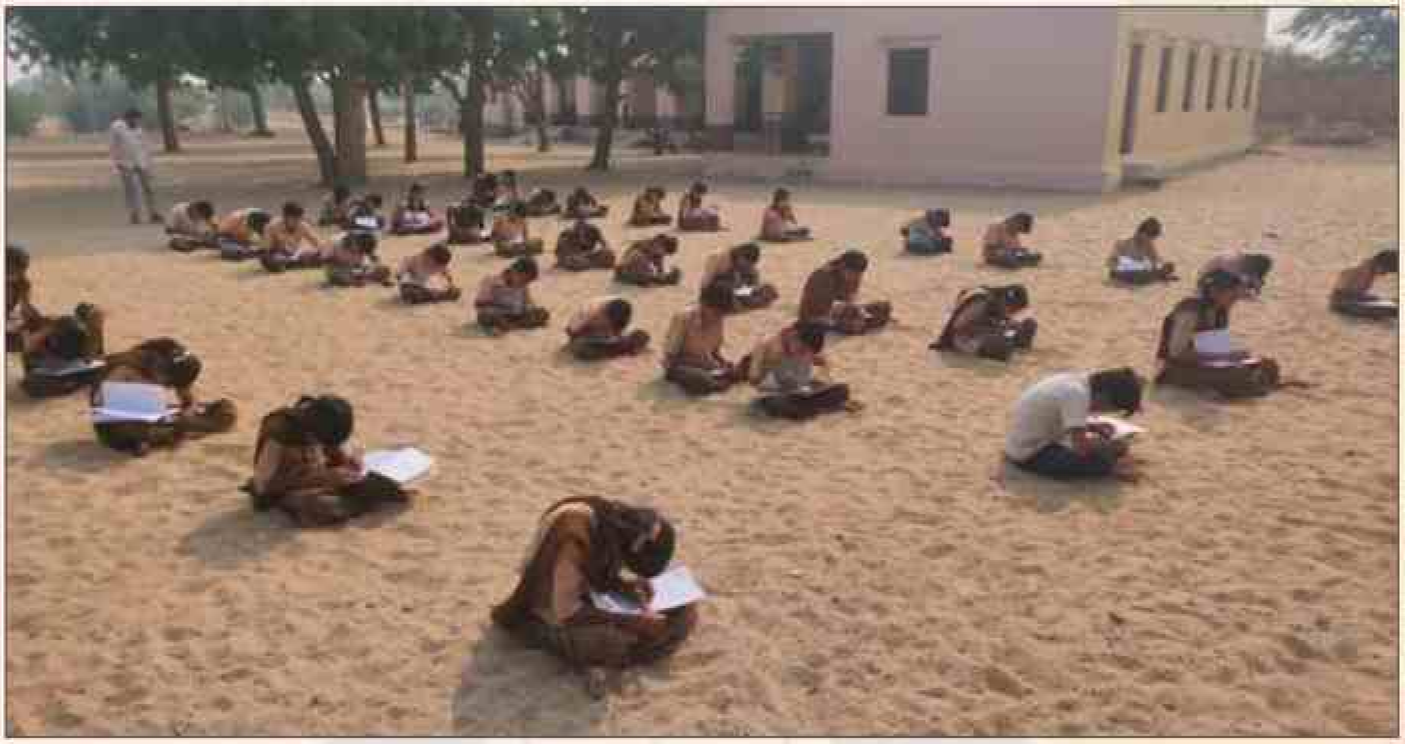

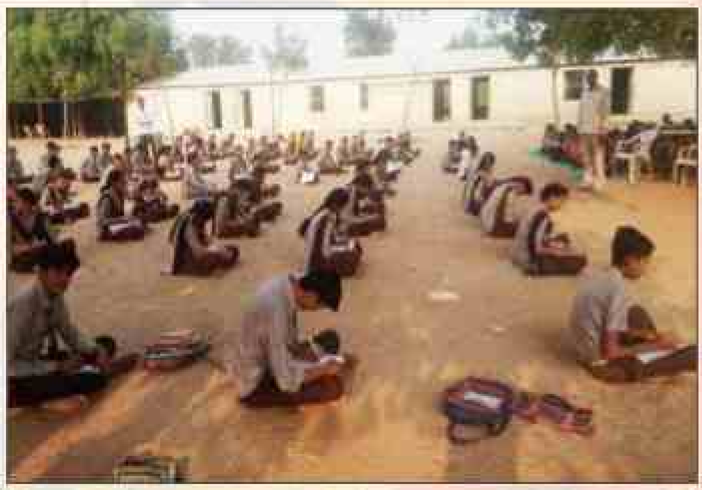

Essay and Poster - Painting Competitions

Signature Campaign

बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची व शव को आहोर स्थित अस्पताल मोर्चरी में रखवाया।

प्रबंधन समिति के बारे में अभिभावकों को अधिक से अधिक विद्यालय सहयोग के लिए आह्वान

सार्वजनिक बालसभा, हरित पाठशाला विस्तार से जानकारी दी।

संविधान दिवस आज, होंगे कई कार्यक्रम

सुबह नगर परिषद से निकाली जाएगी रैली, स्कूलों में आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जालोर. भारत में संविधान को अंगीकृत करने के 70वें वर्ष पर 26 नवम्बर को जिले भर में विविध आयोजन होंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.पी. सोनी के निर्देशानुसार इस दिन जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के तत्वावधान में जिले भर में 26 नवम्बर को सुबह जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा रैली में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, नर्सिंग स्टूडेंट, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स, आमजन, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जिला मुख्यालय पर सुबह 8.30 बजे नगर परिषद से जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। 26 नवम्बर के अवसर पर जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान विद्यालयों में सुबह 11 बजे प्रार्थना सभाओं के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना व आर्टिकल 54 ए के प्रावधानों का पठन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

विधिक सेवा केन्द्रों में आयोजित होगी प्रतियोगिताएं

जिले के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्थापित विधिक सेवा केन्द्रों व विधिक साक्षरता कलबों में 26 नवम्बर को निबंध, पोस्टर, पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस दिन सभी विधिक सेवा केन्द्रों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर स्थापित विधिक साक्षरता कलबों में भी संविधान दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायतों व पुलिस थानों में भी होंगे कार्यक्रम

26 नवम्बर को जिले के सभी पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, पटवार भवनों में भी संविधान दिवस मनाया जाएगा। लोगों को भारत के संविधान की प्रस्तावना व आर्टिकल 54 ए के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

एडीआर भवन में भी होगी संगोष्ठी

संविधान दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीआर भवन में भी संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने सभी अधिवक्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, आमजन से आह्वान किया है कि अधिक से अधिक लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर अभियान का भी किया जाएगा शुभारंभ

इस अवसर पर जिला मुख्यालय सहित तालुका मुख्यालय [illegible] सांचौर व रानीवाड़ा में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया जाएगा। न्यायिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आमजन [illegible]

Print Media

Jhalawar

Total Number of Programmes - 1942
Total Number of Participants - 183344
Total Number of Person Deployed - 72

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Rallies

Signature Campaign

Deliberations with Bar associations

Rallies

तालुक में भी संविधान दिवस पर होंगे कई कार्यक्रम

संविधान अंगीकार दिवस पर कार्यक्रम आज

70 वाँ संविधान दिवस का न्यायालय परिसर में होगा आयोजन

चौमहला 25 नवम्बर ''पाटन एक्सप्रेस''। कल 70वाँ संविधान दिवस मनाये जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मद आजम खान चौमहला अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति चौमहला की अध्यक्षता में 26 नवंबर 2019 को 70वाँ संविधान दिवस मनाया जावेगा। जिसमें उक्त दिवस के अवसर पर कोर्ट परिसर में जागरूकता शिविर व शपथ, हस्ताक्षर कार्यक्रम तथा राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमहला की छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकली जावेगी। शिविर का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना की जानकारी व नागरिकों के मूल कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करना होगा। वहीं रैली के माध्यम से आमजन को भारत के संविधान की प्रस्तावना व नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

Print Media

Jhunjhunu

Total Number of Programmes	-	1895
Total Number of Participants	-	562456
Total Number of Person Deployed	-	1475

Recitation of Preamble

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Essay and Poster - Painting Competitions

Signature Campaign

Rallies

जिलेभर में मनाया संविधान दिवस राजस्थान पत्रिका

संविधान की अनुपालना की शपथ ली

Print Media

Jodhpur District

Total Number of Programmes - 3171
Total Number of Participants - 632209
Total Number of Person Deployed - 40

Recitation of Preamble

Awareness Programes on Preamble and Fundamental Duties

Signature Campaign

Deliberations with Bar Associations

Rallies

दैनिक नवज्योति — 27.11.2019 — 7

देश की एकता व अखंडता बनाए रखना सभी का दायित्व : सांखला

तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में संविधान दिवस पर हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

यह रहे मौजूद

संविधान के सम्मान व पालन की ली शपथ

संवैधानिक कर्तव्यों का पालन सभी का दायित्व

Print Media

Jodhpur Metro

Total Number of Programmes	-	666
Total Number of Participants	-	60800
Total Number of Person Deployed	-	773

Recitation of preamble

Rallies

Signature Campaign

Awareness Programes on Preamble and Fundamental Duties

Essay and Poster- Painting Competitions

Deliberations with Bar Associations

संविधान दिवस पर आज होंगे अनेक आयोजन

विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू संचालन संबंधी बैठक आयोजित

मूल कर्तव्यों की जानकारी

संविधान दिवस का मुख्य समारोह आज

संविधान अंगीकृत दिवस आज, होंगे कई आयोजन

जोधपुर@पत्रिका. भारतीय संविधान के पुनीत अंगीकृत दिवस के अवसर पर मंगलवार सुबह 9 बजे सूचना केन्द्र के मिनी ऑडिटोरियम में संविधान अंगीकृत दिवस मनाया जाएगा। जिलेभर में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन संबंधी बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरसिंहदास की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि इस संविधान दिवस पर अधिकाधिक नागरिकों को उनके मूल कर्तव्यों की जानकारी दिया जाना ही कार्यक्रम का उद्देश्य है।

संविधान दिवस आज, अनेक कार्यक्रम होंगे

Print Media

Karauli

Total Number of Programmes	-	513
Total Number of Participants	-	116814
Total Number of Person Deployed	-	545

Awareness Programes on Preamble and Fundamental Duties

Signature Campaign

Recitation of Preamble

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज कई कार्यक्रम होंगे

करौली. @ पत्रिका. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के एडीआर भवन में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य एवं जिला प्रशासन के सहयोग से संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर जिले के विभिन्न स्थानों पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला प्राधिकरण सचिव रेखा यादव ने बताया कि 26 नवम्बर, 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। यह वर्ष संविधान अंगीकृत करने का 70वां वर्ष है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली व तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डौनसिटी, श्रीमहावीरजी, टोडाभीम, [illegible] सपोटरा पर मंगलवार को प्रातः 10 बजे से कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स के सहयोग से जिले के स्कूलों, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, न्यायालय परिसर, बाल गृहों, कॉलेजों, पुलिस थानों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम होंगे। यह कार्यक्रम 2 दिसम्बर तक होंगे।

ग्राम सभा आज

नादौती. संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा होगी। विकास अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्राम सभा में संविधान दिवस पर मौलिक अधिकार व कर्तव्यों के महत्व से [illegible] शपथ दिलाएंगे।

जिले में हर्षोल्लास से मनाया संविधान दिवस, पालन की दिलाई शपथ

संविधान प्रदत्त अधिकारों के बारे में बच्चों को विस्तार से दी जानकारी

संविधान दिवस पर अवार्ड प्रतियोगिता, छात्रों ने लिया बढ़चढ़कर हिस्सा

Print Media

Kota

Total Number of Programmes - 201
Total Number of Participants - 24470
Total Number of Person Deployed - 153

Awareness Programes on Preamble and Fundamental Duties

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar Associations

Rallies

Print Media

Merta

Total Number of Programmes - 1120
Total Number of Participants - 240235
Total Number of Person Deployed - 1124

Recitation of preamble

Recitation of Preamble

Rallies

Awareness Programes on Preamble and Fundamental Duties

Signature Campaign

Essay and Poster- Painting Competitions

संविधान दिवस पर आज होंगे कार्यक्रम

संविधान दिवस पर न्यायालय परिसर में आज होंगे कार्यक्रम

एसीजेएम ने ली बैठक, संविधान दिवस को लेकर दिए दिशा-निर्देश

पत्रिका मेड़तासिटी.डेगाना

विधिक सेवा को लेकर दी जानकारियां

संविधान दिवस पर बालिका विद्यालय मे कार्यकम आज

मेड़तासिटी ।राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विध्यालय मेडता मे आज भारत के संविधान की स्मति मे संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यकम मे मुख्य अतिथि किशनलाल चौधरी अपर जिला एव सेशन मजिस्टेट मेडता,विशिष्ट अतिथि के रूप मे रेखा राठौड मजिस्टेट विशिष्ट न्यायालय पोक्सो मेडता डा.सिम्पल शर्मा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट मेडता सुश्री रिचा शर्मा सिविल न्यायिक मजिस्टेट मेडता गजेन्द्र कुमार अतिरिक्त सिविल न्यायिक मजिस्टेट रहेगे प्रधानाचार्या तारा मिश्रा ने बताया कि संविधान दिवस पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना वादविवाद प्रतियोगिताए संवाद निबंध लेखन प्रतियोगिता सांस्कतिक कार्यकमो का आयोजन होगा।

Print Media

Pali

Total Number of Programmes - 2083
Total Number of Participants - 229288
Total Number of Person Deployed - 572

Awareness Programes on Preamble and Fundamental Duties

Signature Campaign

Deliberations with Bar Associations

Essay and Poster- Painting Competitions

Recitation of Preamble

Print Media

Pratapgarh

Total Number of Programmes - 768
Total Number of Participants - 116851
Total Number of Person Deployed - 1426

Signature Campaign

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar Associations

Awareness Programes on Preamble and Fundamental Duties

संविधान दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम

रेमण्ड पेंट पीस
बाबा क्लॉथ

संविधान दिवस पर जिले में हुए कई कार्यक्रम

संविधान दिवस पर जिले में हुए कई कार्यक्रम

भारत का संविधान दिवस पर होंगे आयोजन

पद्मिनी ■ प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ भारत का संविधान दिवस आज 26 नवम्बर, मंगलवार को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर सोमवार को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत वैष्णव की अध्यक्षता में एडीआर सेन्टर में बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों को आयोजन में सहयोग करने एवं आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रचार करने को कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में आज मंगलवार को संविधान दिवस के भव्य आयोजन किए जा रहे है, जिसमें जिले के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर भारत के संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्त्तव्य व मौलिक अधिकारों का वाचन कर छात्र-छात्राओं को विधिक जानकारी देंगे। बताया कि आज प्रातः 10 बजे एडीआर सेन्टर में जिले के सभी न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी व अधिवक्तागण एवं आमजन की विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्त्तव्य व मौलिक अधिकारों का वाचन किया जाएगा।

राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पेनल अधिवक्ता अजीत कुमार मोदी को संविधान दिवस कार्यक्रमों का नोडल ऑफिसर बनाया गया है।

दैनिक जय काँठल

भारत गणराज्य का विश्व का सबसे बढ़िया संविधान है: जिलाजज शर्मा

पटवा ट्रेडर्स

संविधान सप्ताह पर कैम्प का आयोजन

'विश्व की सबसे बेहतरीन लिखित दस्तावेज भारत देश का संविधान- अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश

Print Media

Rajsamand

Total Number of Programmes	-	625
Total Number of Participants	-	108847
Total Number of Person Deployed	-	625

Recitation of Preamble

Awareness Programes on Preamble and Fundamental Duties

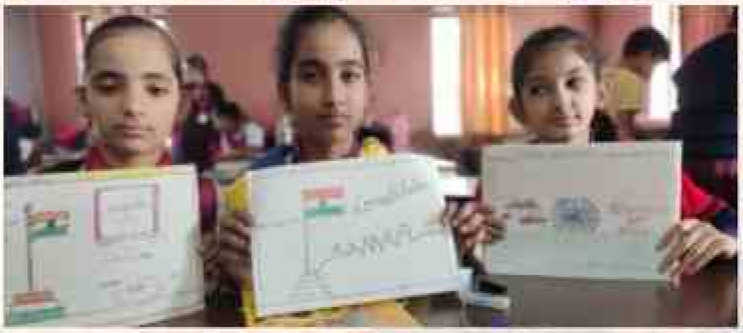

Essay and Poster- Painting Competitions

Rallies

Signature Campaign

Deliberations with Bar Associations

जिले भर में आज मनाया जाएगा संविधान दिवस

सरकारी-गैर सरकारी विद्यालयों कॉलेजो व संस्थाओं के होंगे विशेष कार्यक्रम

प्रवासी संदेश टीम। राजसमन्द। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किये जाने के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार 26 नवम्बर भारत के संविधान अंगीकृत दिवस के रूप में संपूर्ण जिले में सभी विभागों के समन्वय से वृहद रूप से मनाया जाएगा।

इस अवसर पर संविधान की आत्मा स्वरूप प्रस्तावना एवं नागरिकों के देश की प्रति मूल कर्तव्यों का कुल 6 भी स्थानों पर वाचन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णकालिक सचिव नरेन्द्र कुमार ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त बार ऐसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जिला न्यायालय बार एसोसिएशन सभागार सहित तालुका के सभी न्यायालयों में मनाया जायेगा साथ ही जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों, विधि महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, पंचायत समितियों पर स्थित विधिक सेवा क्लिनिक, जिले की सभी ग्राम पंचायतों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजसमंद, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य, अन्य मेडिकल कॉलेज, पुलिस लाईन राजसमंद, समस्त पुलिस थानों, जिला कारागृह तथा उपजिला कारागृह आदि कुल 600 स्थानों पर एक साथ संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों की जानकारी हेतु संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल कर्तव्यों विशेषकर 4-ए(अनुच्छेद 51 ए) में वर्णित प्रावधानों का वाचन कर विधिक जानकारी प्रदान की जाएगी।

विधिक जागरूकता रैलियों के आयोजन के साथ होगा शुभारंभ

कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 9:30 पर विधिक जागरूकता रैलियों का आयोजन कर किया जाएगा साथ ही विद्यालयों में पोस्टर, पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाकर विद्यार्थियों को मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जायेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य यथा राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज एवं संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान हमारे पूर्वजों द्वारा इतिहास में किये गये बलिदान को याद रखना एवं प्रेरणा प्राप्त करना भारत की प्रभुता, एकता, एवं अखण्डता की रक्षा करना एवं उसे अक्षुण्ण बनाये रखना। देश की रक्षा हेतु तत्पर रहना। सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करना, हमारी गौरवशाली संस्कृति का महत्व समझना व उसका परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना एवं प्राणीमात्र की प्रति दयाभाव रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रहना, राष्ट्र की प्रगति में भागीदार होना, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना से अवगत करवाना है ताकि देश के जागरूक नागरिक बनकर सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो सकें।

संविधान दिवस पर आज जागरूकता रैलियां, पोस्टर, पेंटिंग, गोष्ठियां होगी

कानूनी जानकारी दी

विधिक सेवा प्राधिकरण पर दिया कानूनी मार्गदर्शन

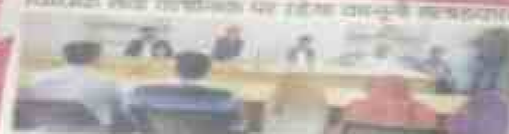

आज लोगों को पढ़ाएंगे संविधान का पाठ

संविधान दिवस आज

श्रीगंगानगर। संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रदेश में जिला न्यायालयों तालुका न्यायालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कारागृह, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुषमा पारीक ने बताया कि पोस्टर व पेंटिंग प्रतियोगिता होगी।

दैनिक नवज्योति

संविधान की प्रस्तावना को साकार रूप देने के लिए हर पल प्रयत्नशील हों : देवेन्द्र कुमार

रालसा एवं नालसा की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं : नरेंद्र कुमार

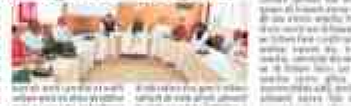

Print Media

Sawaimadhopur

Total Number of Programmes	-	374
Total Number of Participants	-	100180
Total Number of Person Deployed	-	69

Recitation of Preamble

Deliberations with Bar associations

Signature campaign

Rallies

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Sikar

Total Number of Programmes	-	1709
Total Number of Participants	-	425534
Total Number of Person Deployed	-	50

Recitation of preamble

Recitation of Preamble

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Signature Campaign

संविधान दिवस पर जिलेभर में हुए कार्यक्रम

'अधिकार ले कर्तव्य भी निभाएं नागरिक'

स्कूल-कॉलेजों में भारतीय संविधान पर हुई चर्चा

संविधान दिवस • शिक्षण संस्थानों व संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम हुए

संविधान का महत्व समझाया, देश व समाज के प्रति कर्तव्य निभाने की शपथ भी दिलाई

सोभासरिया में फैकल्टी ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन

संविधान

लक्ष्मणगढ़. बीपीएस कान्वेंट स्कूल में मंगलवार को संविधान दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों ने भाषण, लघुनाटिका एवं रोचक तथ्यों के आधार पर संविधान के महत्व के बारे में बताया। थाना परिसर व सरकारी अस्पताल में पुलिस कार्मिकों व अस्पताल के चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों ने संविधान दिवस के मौके पर संविधान की पालना की शपथ ली। तालुका विधिक सेवा समिति ने मोदी विश्वविद्यालय, गोयनका स्कूल व राप्रावि में संविधान दिवस मनाया। समिति के अध्यक्ष आरजेएस रविकांत सोनी ने संविधान प्रदत्त शक्तियों व मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। **लोसल.** कस्बे में अखिल भारतीय डॉ.भीमराव अम्बेडकर सर्व जन चेतना संगठन के पदाधिकारियों ने संविधान के तहत शपथ ली। कार्यक्रम का

Print Media

Sirohi

Total Number of Programmes - 89
Total Number of Participants - 21375
Total Number of Person Deployed - 59

Recitation of Preamble

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Signature Campaign

संविधान दिवस • जिलेभर के स्कूल, कॉलेजों और कारागृह समेत सरकारी कार्यालयों में हुए कार्यक्रम

देश के संविधान की पालना के लिए दिलाई शपथ

अब एक सप्ताह तक जिले में होंगे विभिन्न कार्यक्रम

भास्कर न्यूज | सिरोही

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के तत्वावधान में पूरे जिले में 70वां संविधान दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय पर एडीआर सेंटर पर भारतीय संविधान दिवस जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही रविंद्र कुमार जोशी, कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी, एसपी कल्याणमल मीना, न्यायाधीश एमएसीटी सिरोही अनु अग्रवाल, पारिवारिक न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास, एडीएम रिछपाल सिंह बुरड़क, अभिभावक संघ के अध्यक्ष मानसिंह देवड़ा, अधिवक्ता मुनव्वर हुसैन ने संविधान के बारे में जानकारी दी।

इस मौके अधिवक्ता नारायणलाल कुम्हार, गोविंद राणा, सीमा खत्री, शैतान खरोर, अशोक पुरोहित, उमाराम देवासी समेत अधिवक्ता तथा न्यायालयों व अन्य प्रशासनिक विभाग के स्टाफ सदस्यों ने मनाया। प्राधिकरण के निर्देश पर जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले में न्यायालय परिसर, पंचायत समिति, कारागृह, स्कूलों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों पर संविधान दिवस पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्तव्य की जानकारी दी एवं शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रविंद्र कुमार जोशी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक एक जागरूकता सप्ताह का आयोजन भी किया जाएगा। जिले में कुल 41 पैरा लीगल वॉलंटियर्स तथा 27 पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल कर्तव्य के संबंध में जानकारी देंगे।

जिलेभर में हुए कार्यक्रम : इस मौके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, एडीआर सेंटर सिरोही, तालुका विधिक सेवा समिति रेवदर के अध्यक्ष रामचन्द्र चौहान की अध्यक्षता में रेवदर के स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित, तालुका विधिक सेवा समिति शिवगंज के अध्यक्ष हरीश कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम, विधिक साक्षरता क्लब माडर्न डिवेंस सीनियर सैकंडरी स्कूल शिवगंज में कार्यक्रम, विधिक साक्षरता क्लब महेश केशव स्कूल शिवगंज, विधिक साक्षरता क्लब गीता आनंद उमावि शिवगंज, राउमा विद्यालय भाटकड़ा सिरोही, विधिक साक्षरता क्लब महात्मा गांधी राउमावि पुराना भवन सिरोही, राउमावि नवीन भवन सिरोही, विधिक साक्षरता क्लब इम्मानुअल मिशन सीनियर सैकंडरी स्कूल सिरोही, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही, विधिक सेवा क्लिनिक, पंचायत समिति सिरोही, विधिक साक्षरता क्लब शताब्दी विद्या मंदिर रेवदर, विधिक साक्षरता क्लब जानाबाई आदर्श माध्यमिक विद्यालय पोसालिया, विधिक साक्षरता क्लब सर्वोदय इंटरनेशनल विद्यालय सोनेला, विधिक साक्षरता क्लब सेंट पॉल्स स्कूल आबूरोड, विधिक साक्षरता क्लब विकास विद्या मंदिर रेवदर, विधिक साक्षरता क्लब सरस्वती बाल निकेतन विद्यालय, विधिक साक्षरता क्लब ईडन इंटरनेशनल व विधिक साक्षरता क्लब सेंट साई पब्लिक स्कूल शिवगंज में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

सिरोही. संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि।

कॉलेज में पोस्टर व निबंध प्रतियोगिता आयोजित

राजकीय महाविद्यालय सिरोही में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. केके शर्मा व सह आचार्य डॉ. अनुपमा साह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके संविधान दिवस पर प्रस्तावना पोस्टर प्रतियोगिता तथा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रासंगिकता विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रस्तावना पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर अशोक कुमार परमार, सेजल व मनीष कुमार तथा डॉली ओझा रहे। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर डॉली ओझा व द्वितीय स्थान विद्या चौधरी रही।

माउंट आबू. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में संविधान दिवस मनाया गया।

आंतरिक सुरक्षा अकादमी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मनाया संविधान दिवस

माउंटआबू | आंतरिक सुरक्षा अकादमी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तत्वावधान में मंगलवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके बल के महानिरीक्षक केएस भंडारी ने कहा कि कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां तथा 104 संशोधन सम्मिलित है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से इसे अपनाया था तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इस वजह से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस मौके उपमहानिरीक्षक राकेशसिंह चौहान, के थॉमस व कमान्डेंट केके पांडेय समेत अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

संविधान दिवस पर स्कूलों में भी हुए कार्यक्रम

सिरोही | जिले के विभिन्न स्कूलों में मंगलवार को संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजकीय माध्यमिक स्कूल भाटकड़ा में संविधान दिवस पर संविधान के निर्माण प्रस्तावना एवं इसकी विशेषताओं अनुच्छेद, अनुसूचियों एवं संशोधनों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही छात्रों को मूलभूत कर्तव्यों की जानकारी पुखराज बिष्ट ने दी। इस अवसर पर संविधान संबंधी शपथ छात्रों एवं स्कूल परिवार को दिलाई। इस दौरान छात्रों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत प्रश्न पूछे एवं विजेताओं को सम्मानित किया। मांडवा गांव में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक अनुराग मुदगल और हितेश व्यास की ओर से संचालित एजुकेशन रिसोर्स सेंटर पर पुस्तक मेला एवं सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। पुस्तक मेला गांव में पढ़ने लिखने के माहौल को बढ़ाएगा एवं लाइब्रेरी के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रेरित करेगा।

तंवरी | राउमावि हालीवाड़ा में संविधान दिवस का आयोजन प्रधानाचार्य महेश कुमार की अध्यक्षता में डॉ भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण से की। संविधान दिवस पर वरिष्ठ अध्यापक नवाराम ने अंबेडकर की जीवनी एवं संविधान के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसमें योगिता प्रथम रही।

Print Media

Tonk

Total Number of Programmes - 961
Total Number of Participants - 173494
Total Number of Person Deployed - 333

Awareness Programmes on Preamble and Fundamental Duties

Recitation of Preamble

Rallies

Signature Campaign

Signature Campaign

भारत के संविधान अंगीकृत करने का संविधान दिवस मनाएंगे आज

कार्यालय संवाददाता

टोंक। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 26 नवम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक द्वारा भारत के संविधान अंगीकृत करने के दिवस के रूप में मनाया जावेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगे। जिसको लेकर बैठक का आयोजन एडीआर सेंटर में किया गया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक पंकज बंसल ने बताया कि 26 नवम्बर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, अतः 26 नवम्बर को संविधान अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 70वां संविधान दिवस पर जिले टोंक की प्रत्येक तालुका के विद्यालयों, कस्बों, गांवों-2, ढाणी तक आमजन को भारत के संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों की जानकारी प्रदान किए जाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जावेगें। जिनमें संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का पालन किया जावेगा। इस संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक द्वारा सोमवार को विधिक साक्षरता क्लबों के प्रभारी अधिकारीयों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें संविधान दिवस कार्यक्रम के निर्देश प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिले में पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला कारागृह, विद्यालयों, महाविद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जावेगा तथा जागरूकता रैलीयों का आयोजन किया जावेगा। कार्यक्रम हेतु पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं एन.जी.ओ. के प्रतिनिधिगण द्वारा संविधान के बारे में जानकारी प्रदान की जावेगी। इस संबंध में मुख्य कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के परिसर में सुबह 10 बजे आयोजित किया जावेगा।

Print Media

Udaipur

Total Number of Programmes	-	419
Total Number of Participants	-	175500
Total Number of Person Deployed	-	368

Recitation of Preamble

Essay and Poster- painting competitions

Signature Campaign

पत्रिका सिटी लीवस

जिलेभर में उत्साह से मनाया संविधान दिवस, शिक्षण संस्थाओं में विशेष आयोजन

प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का महत्व

यहां भी चला आयोजनों का दौर

शहरभर में हुए विविध आयोजन

संविधान के लिए निकाली रैलियां

विद्यार्थियों ने देखी संविधान की प्रति

संविधान दिवस • जिला प्रशासन ने शहर में कराए कार्यक्रम, सरकारी विभागों, संस्थानों, संगठनों में संविधान के पढ़ाए पाठ, स्कूलों में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई

बच्चों ने संविधान पर लिखे निबंध, भाषण दिए, पेंटिंग से बताए अधिकार और कर्तव्य

निजी स्कूलों और संस्थाओं में संविधान के अनुसार चलने की शपथ ली

Print Media

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर बेंच, जयपुर।

(Phone: 0141-2227481, 2227555 FAX)

Email : Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

Help Line No.: 9928900900

विधिक सेवा प्राधिकरण आपके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य:

1. नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना
2. कानूनी साक्षरता का प्रचार प्रसार करना
3. लोक अदालतों का आयोजन करना
4. विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना
5. अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना
6. नि:शुल्क कानूनी सलाह प्रदान करना

नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए राजस्थान में निम्न व्यक्ति पात्र है:

1. महिला और बच्चे
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
3. औद्योगिक कामगार
4. बड़े पैमाने पर प्राकृतिक/औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित व्यक्ति
5. दिव्यांग जन
6. हिरासत में निरूद्ध व्यक्ति
7. वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख रूपये (3 लाख संशोधनाधीन) से कम है।
8. मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति

नि:शुल्क कानूनी सेवा सभी दिवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है।
नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधिक सेवाऐं संस्थाएं है:

1. राष्ट्रीय स्तर पर	:	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
2. राज्य स्तर पर	:	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
3. जिला स्तर पर	:	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
4. तालुका स्तर पर	:	तालुका विधिक सेवा समिति
5. उच्च न्यायालय स्तर पर	:	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
6. उच्चतम न्यायालय स्तर पर	:	सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने निकटतम विधिक सेवा संस्था,
(जिला न्यायालय परिसर/वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में),
लीगल सर्विसिस क्लिनिक अथवा
Nalsa online portal http://www.nalsa.gov.in/slams
या टोल फ्री नम्बर: 15100 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे ;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ;

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिस के अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे ;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे ;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूले ;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे ।

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL
RSLSA

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर बेंच, जयपुर।
(Phone: 0141-2227481, 2227555 FAX)
Email : Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in
Help Line No.: 9928900900